Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Aanganbari Misc. Case No.- 10 /2024

Gaytri Devi .... Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. ....Opposite Parties

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी विविध वाद न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा विविध आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–11/2018 में दिनांक–14.12.2023 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मानव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में पंचायत धरहन, वार्ड नं0–02, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–121, रहार परियोजना, प्राणपुर, जिला–कटिहार में सेविका/सहायिका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में आवेदिका सहित कुल छः अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। उक्त आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर प्रियंका कुमारो, पति–संतोष कुमार मंडल एवं द्वितीय स्थान पर अभ्यर्थी खुशबू कुमारी, पति–चन्द्रशेखर कुमार थी। दिनांक–23.11.2017 को वार्ड सदस्य/वार्ड पंच एवं चयन समिति सचिव की उपस्थिति में आम सभा आयोजित करते हुए प्रथम स्थान पर धारित प्रियंका कुमारी का चयन सेविका पद पर किया गया। उक्त चयन के पश्चात मेधा क्रमांक 02 पर धारित अभ्यर्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में उपरोक्त चयन में हुई अनियमितता के विरूद्ध विविध आंगनबाड़ी अपील संख्या–11/2018 दाखिल किया, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर ने अपने पत्रांक–497 दिनांक–16.11.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया कि वर्णित केन्द्र की चयनित सेविका प्रियंका कुमारी की नियुक्ति शिक्षिका के पद पर हो जाने के कारण दिनांक–16.11.2023 को सेविका के पद से अपना त्याग–पत्र समर्पित किया है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में यह उल्लेख किया गया कि प्रियंका कुमारी द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने के कारण सेविका पद रिक्त है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि विभागीय नियमों का पालन करते हुए मेधा क्रमांक द्वितीय पर धारित सेविका का चयन सेविका पद पर करते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगी। इनका आगे कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–2025, दिनांक–14.12.2023 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–13, दिनांक–10.01.2024 श्रीमती क्रमशः	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 30.12.2024	निहारिका मुखर्जी, महिला पर्यवेक्षिका, प्राणपुर को पत्र प्रेषित किया गया। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा पूर्व की कार्यवाही पंजी के अंत में दिनांक–10.01.24 को अतिरिक्त कार्यवाही पृष्ठ संलग्न करते हुए गुप–चुप तरीके से मेधा सूची की दूसरी अभ्यर्थी खुशबू कुमारो का चयन सेविका पद पर कर दिया गया एवं दिनांक–10.01.2024 को चयन पत्र निर्गत कर दिया गया। विभागीय मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका 10 में स्पष्ट उल्लिखित है कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन की निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायेगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार करते हुए अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयन पत्र निर्गत करना है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए रहेगी। उक्त विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में पैनल की अवधि समाप्त हो जाने के लगभग 5 वर्षों के बाद उक्त पैनल से मेधा सूची की द्वितीय अभ्यर्थी खुशबू कुमारी का चयन अवैध एवं मनमाने ढंग से कर दिया गया। उपरोक्त के आलोक में उक्त केन्द्र पर चयनित सेविका का चयन को रद्द करते हुए नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर सेविका का चयन प्रक्रिया करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी संख्या–04 खुशबू कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत विविध वाद तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत विविध वाद आवेदिका द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दायर अपील वाद संख्या–11/2018 में दिनांक–14.12.23 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त अपील वाद में प्रियंका कुमारी अपीलार्थी और मेरे विरूद्ध संचालित था, जिसमें गायत्री देवी कोई पक्षकार नहीं थी। सिर्फ वैमनस्यता की दृष्टि से इस न्यायालय में विविध वाद दायर की है, जो विधि की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपितु खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत धरहन, वार्ड नं0–02, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–121, रहार में चयनित सेविका प्रियंका कुमारी की नियुक्ति शिक्षिका पद पर हो जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक–16.11.2023 को सेविका पद से अपना त्याग पत्र दे दिया गया। तदोपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा अपील वाद संख्या–11/2018 में दिनांक–14.12.2023 को नियमानुकूल आदे" ा पारित करते हुए विपक्षी संख्या–04 खुशबू कुमारी का चयन विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में किया गया है। आवेदिका उक्त चयन में कोई अभ्यर्थी भी नहीं थी, सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से वैमनस्यता के कारण वाद दायर की है, जो खारिज होने योग्य है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार ने ज्ञापांक–1131/प्रो0, दिनांक–24.06.2024 द्वारा समर्पित मंतव्य में अंकित किया है कि बाल विकास परियोजना, प्राणपुर अंतर्गत पंचायत धरहन, वार्ड संख्या–02 के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–121 रहार में चयनित सेविका प्रियंका कुमारी के चयन के	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 30.12.2024	क्रमशः विरूद्ध खुशबू कुमारी की ओर से दायर वाद पर अपील वाद संख्या–11/2018 खुशबू कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर एवं अन्य प्रारंभ करते हुए विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है। सुनवाई के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर ने अपने पत्रांक–497 दिनांक–16.11.2023 द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि वर्णित केन्द्र की चयनित सेविका प्रियंका कुमारी की नियुक्ति शिक्षिका के पद पर हो जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक–16.11.2023 को सेविका पद से अपना त्याग पत्र दे दिया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा विधिवत सुनवाई एवं संबंधित कागजात के अवलोकनोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर को निदेश दिया गया कि वर्णित केन्द्र पर विभागीय नियमों का अनुपालन करते हुए मेधा सूची की योग्य आवेदिका का चयन सेविका के रिक्त पद पर करते हुए अविलंब चयन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक खुशबू कुमारी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जालो एवं संदेहास्पद होने का आरोप है, तो इस संबंध में बाल विकास परियोजना स्तर से शैक्षणित प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु संबंधित बोर्ड में भेजा गया है। जाँचोपरांत यदि इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो इनके विरूद्ध विधिसम्मत/चयनमुक्ति की कार्रवाई की जायेगी। उभय पक्षों को सुनन, दाखिल कागजात तथा अभिलेख में संलग्न सभी सुसंगत कागजात के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि कटिहार जिला अंतर्गत पंचायत धरहन, वार्ड नं0–02, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–121, रहार परियोजना, प्राणपुर में सेविका प्रियंका कुमारी द्वारा त्याग पत्र देने के उपरांत खुशबू कुमारी का चयन विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। आवेदिका द्वारा खुशबू कुमारी का उक्त केन्द्र पर सेविका पद के लिए किये गये चयन को अवैध एवं विभागीय मार्गदशिका के विपरीत सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रही हैं। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। आवेदिका का आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ ही वाद को कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे” । की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy Not official.

Web copy. Not official.